362

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महो, राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

निग. प्र.क्रं.– R-932 I-17 सन् 2017

श्रीमती उर्मिला यादव पत्नी श्री बी. एस. यादव
निवासी 10 बी.पूजाहोम्स, कचनारसिटि जबलपुर
जिला–जबलपुर (म.प्र.) .....निगरानीकर्ता

बनाम

1 .श्री जय प्रकाश द्विवेदी तनय श्री शिव दास
निवासी नरसिंहगढ़पुरवा छतरपुर , तहसील
व जिला छतरपुर (म.प्र.)

2 .शासन म.प्र. ..... उत्तरवादी/गैर निगरानीकर्तागण

श्री मुकेश माथुर एडवोकेट
द्वारा आज दि. 22-3-17 को
प्रस्तुत

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म. प्र. भू. राजस्व संहिता
निगरानी विरूद्व प्र.क्रं. 17/अ–3/16–17 आ. दि. 27.01.17 तहसीलदार महोदय छतरपुर तह. व जिला छतरपुर (म.प्र.) जयप्रकाश द्विवेदी बनाम शासन म.प्र.

रजिस्ट्रार ऑफिस कोर्ट
राजस्व मण्डल ग्वालियर
22.3.17

मुकेश माथुर
एडवोकेट
ग्वालियर

महोदय ,

निगरानीकर्ता श्रीमती उर्मिला यादव पत्नी श्री बी. एस. यादव निवासी 10 बी.पूजा होम्स, कचनार सिटि जबलपुर जिला–जबलपुर (म.प्र.) की हूँ जो कि निम्न लिखित निगरानी सादर पेश करती हूँ कि :–

–:: निगरानी के तथ्य ::–

1 . यह कि निगरानीकर्ता श्रीमती उर्मिला यादव के निजी स्वत्व व आधिपत्य की भूमि ख.नं. 1271/1/क रकवा 0.405 हेक्टर स्थित मौजा मौराहा, तहसील व जिला–छतरपुर म.प्र. में है, जिसमें निगरानीकर्ता की तार फैसिंग है तथा मौके पर निगरानीकर्ता का कब्जा है! निगरानीकर्ता की भूमि के सामने छतरपुर से सटई — को जाने वाली डामर रोड़ की ''सड़क'' है! उत्तरवादी क्रं. 1 की भूमि निगरानीकर्ता के पीछे है जिसमें फसल बुबी है! उत्तरवादी/गैरनिगरानीकर्ता द्वारा गोपनीयढ़ग से निगरानीकर्ता के कब्जा शुदा भूमि की तरमीम करा ली है! राजस्व निरीक्षक महोदय छतरपुर श्री जयप्रकाश शुक्ला एवं हल्का पटवारी श्री सरताज खान द्वारा फर्जी तरिके से कथित भूमि की तरमीम कर दी है कथित तरमीम के संबंध में निरगरानीकर्ता के द्वारा लिखित में आपत्ति तहसीलदार महोदय छतरपुर को दिनांक 16.1.17 को दी थी , तहसीदार महोदय छतरपुर द्वारा कथित आपत्ति को राजस्व निरीक्षक को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की थी किन्तु आर.आई.महोदय श्री जय प्रकाश द्विवेदी द्वारा बिना कब्जा के ही उत्तरवादी/गैरनिगरानीकर्ता को रोड़ पर सम्पूर्ण भूमि प्रदान कर दी है जबकि उत्तरवादी/गैरनिगरानीकर्ता का कब्जा पीछे था! इसके बाद योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना निगरानीकर्ता को सुने, बिना आपत्ति का निराकरण किये ही कथित भूमि का प्र.क्रं. 17/अ–3/2016–17 आदेश दिनांक 27.01.17 के तहत तरमीम स्वीकृत कर दी है जिससे दुखित होकर निगरानीकर्ता निम्न लिखित ठोस एवं सुढ़ढ़ आधारो पर निगरानी सादर पेश करती है कि :– उर्मिला यादव

क्रंमश : ..... 2 पर

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

— 2 —

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-932-एक/2017 जिला छतरपुर उर्मिला विरूद्ध जयप्रकाश व शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव एवं अनावेदक की ओर से अभिभाषक श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित । आवेदक के द्वारा तहसीलदार छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 17/अ-3/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 27-01-2017 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 22-03-2017 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।	

10.1.19

5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

10.1.19

(आर.के. जैन)
सदस्य